

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 977 / 2014 / जोधपुर.

मैसर्स कविता फैंसी स्टोर, घण्टाघर, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जोधपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 11 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 68(1) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र संख्या उपाजो/ई/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.05.2014 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 6.9.2011 को किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रूपये 20,16,345/- एवं 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रूपये 4,92,550/- की अप्रमाणित खरीद किया जाना पाया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं शास्ति आरोपण हेतु जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए कर व शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत आदेश दिनांक 8.10.2011 पारित करते हुए रूपये 20,16,345/- की उचन्ति खरीद पर 5 % की दर से कर रूपये 1,00,817/- व धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 2,01,634/- एवं रूपये


लगातार.....2

4,92,550/- की उच्चन्ति खरीद पर 14% की दर से कर रूपये 68,957/- व धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 1,37,914/- कुल रूपये 5,09,322/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी ने प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 8.11.2011 को प्रस्तुत किया। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण को प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 25.6.2012 से अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया।

3. प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1312/2012/जोधपुर प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2013 से प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः आदेश पारित किया जावे। माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेशों की पालना में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण में आदेश दिनांक 19.05.2014 पारित करते हुए अपीलार्थी का प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए, अपीलार्थी का प्रशमन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रशासनिक अधिकारी ने आदेश को विधिविरुद्ध बताया एवं कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण प्रशमन योग्य होते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रशमन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 68(2) के तहत प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी कर निर्धारण आदेश को प्रशमित करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रशमन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया अविधिक है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में पायी गयी अनियमितता एवं स्वयं अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कर एवं शास्ति का आरोपण




किया गया है एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मानसिकता/स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ ने अपील संख्या 1312/2012/जोधपुर निर्णय दिनांक 11.11.2013 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को निम्नानुसार प्रेषित किया :-

“उपधारा (1) के तहत दायर प्रार्थना-पत्र को प्रशासनिक अधिकारी उपधारा (2) के तहत स्वीकार कर सकता है। इस प्रावधान में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के तहत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के अधिकार प्रदत्त हैं तथा 'may' शब्द उपयोग किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश में व्यवहारी के आवेदन को अस्वीकार किया है, लेकिन आदेश से पूर्व व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना विधिक आवश्यकता है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रशासनिक अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदनकर्ता व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त धारा 68 की भावना के मद्देनजर विधिसम्मत आदेश पारित करें।”

8. उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में प्रशासनिक अधिकारी ने सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 19.05.2014 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :-

“कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.10.2011 अन्तर्गत धारा-25 एवं 61 राजस्थान वैट अधिनियम 2003 में स्पष्ट लिखा है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में कर योग्य माल की खरीद करवंचना की नियत से की। जिसके नियमानुसार विक्रय बिल जारी नहीं किये न ही नियमित लेखा पुस्तकों में जमा खर्च पाया गया।




आलौच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61(1) के तहत दुगनी शास्ति आरोपण के आदेश दिनांक 08.10.2011 के पश्चात् दिनांक 08.11.2011 को आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः व्यवहारी धारा 68(1) के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण प्रश्मन योग्य नहीं पाया गया है। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रश्मन हेतु आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि व्यवहारी के विरुद्ध बकाया माँग की वसूली नियमानुसार की जावें।”

9. इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 68 निम्न प्रकार है :-

68. Composition of offences. -


- (1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.
- (2) **The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.**
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (8) of section 75 or under sub-section (6) or (9) or (11) of section 76, the officer authorized under sub-section (4) of section 75 or the officers authorized under sub-section (4) of section 76 or Incharge of a check-post, as the case may be, may accept composition money from such person in lieu of penalty or prosecution, which shall be,-
 - (a) in case of offence committed under sub-section (8) of section 75 or sub-section (6) of section 76, equal to the amount of four times of the tax leviables on the goods involved or twenty five percent of the value of such goods, whichever is less;
 - (b) in case of offence committed by him under sub-section (9) of section 76, equal to fifteen percent of the value of the goods;
 - (c) in case of offence committed under sub-section (11) of section 76, equal to twenty five percent of the value of such goods.



- (4) The composition of any offence in lieu of penalty or prosecution under sub-section (2), shall be without prejudice to the liability of the person or dealer, charged with the offence, to pay the tax with interest so avoided or evaded or wrongly credited by him.
- (5) On the payment of the amount of composition determined under sub-section (2) and (3), no further proceeding under the provisions of this Act for imposition of penalty or launching of prosecution for the same offence, shall be initiated.
- (6) Notwithstanding anything contained in section 51, no amount of composition accepted and no amount of interest levied under this section, shall be waived or reduced by the Commissioner.
- (7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.
10. प्रशासनिक अधिकारी ने अपने आदेश में आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कारण शास्ति आरोपण के आदेश दिनांक 08.10.2011 के पश्चात् दिनांक 08.11.2011 को आवेदन प्रस्तुत करने के कारण के आधार पर आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है।
11. धारा 68(2) के अध्ययन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् प्रशमन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कोई वर्जना नहीं है। शास्ति आरोपण के पश्चात् प्रस्तुत प्रशमन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की आज्ञा धारा 68(2) नहीं देती है।
12. वेट अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) व (10) निम्न प्रकार है :-

83. Appeal to the Tax Board. -

- (1) An appeal shall lie to the Tax Board against -
- (a) an order passed by the Commissioner under subsection (2) of section 26, section 36, section 77 or section 85;
- (b) an order passed under the Act by the Deputy Commissioner (Administration);
- (c) an order passed by an appellate authority; and
- (d) an order of the State Level Screening Committee or the District Level Screening Committee passed under the Incentive, Exemption or Deferment Schemes notified under section 8 or under sub-section (3) of section 20 of the Act.
- (10) The Tax Board shall, after giving both the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit and send a copy thereof to the appellant, the assessing authority, the authority whose order was appealed against and the Commissioner.




13. विवेकाधिकारी शक्तियों के प्रयोग में निरंकुश/स्वैच्छाचारी शक्तियों का अभाव होना कानून के शासन का प्रथम आवश्यक तत्व है। विवेकाधिकार सदैव कानून से शासित होता है। विवेकाधिकार कभी भी निरंकुश/लहरी/उमंगी नहीं हो सकता है। विवेकाधिकार समझदारी का विज्ञान है, जिससे सत्य/मिथ्या, सही/गलत, परछाई/सारांश को इन्द्रियगोचर कर सके तथा अपनी मनमर्जी से आदेश नहीं किया जावे। विवेकाधिकार रखने वाले प्राधिकारी के पास कोई निरंकुश अधिकार नहीं होते हैं। विवेकाधिकार निरंकुशता के लिये अनुमति नहीं देता है। विवेकाधिकार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग रहते हुए कभी भी लापरवाहीपूर्ण आदेश नहीं पारित किया जाना चाहिये।

14. विधि के निर्वचन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न निर्णयों में दी गई व्यवस्था सुसंगत है :-

(a) **A.I.R. - 1996 SC 361 - R. Venkataswami Naidu V. Narasram Naraindas** : In interpreting an enactment the Court has normally to go by its language and the words used and if any particular provision is open to more than one interpretation, the Court has to choose that, which would represent the true intention of legislature.

(b) **A.I.R. - 1987 SC 1023 - Reserve Bank of India v. Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.** - Interpretation must depend on the text and the context. They are the bases of interpretation. One may well say if the text is texture, context is what gives the colour. Neither can be ignored. Both are important. that interpretation is best which makes the textual interpretation match the contextual. A Statute is best interpreted when we know why it was enacted.

(c) **A.I.R. 2004 SC 867 - N.D. Jayal and Anr.v. Union of India and Ors.** - Hon'ble S.C. interpreted the provision of the Environmental Protection Act, 1986 to mean that the power conferred under the Act was not a power simpliciter, but, was power coupled with duty. Unless the Act was so interpreted sustainable development and protection of life under Article 21 was not possible observed the Court. In Manushkhlal Vithaldas Chauhan v. State of Gujrat this Court held that the scheme of the statute is determinative of the nature of duty or power conferred upon the authority while determining whether such power is obligatory, mandatory or directory and that even if that duty is not set out clearly and specifically in the stature, it may be implied as correlative to a right. Numerous other pronouncements of this Court have similarly addressed and answered the issue.



(d) **A.I.R. 2008 SC 1282 - Bachahan Devi and Anr. v. Nagar Nigam, Gorakhpur and Anr.** - It is well settled that the use of word 'may' in a statutory provision would not by itself show that the provision is directory in nature. In some cases, the legislature may use the word 'may' as a matter of pure conventional courtesy and yet intend a mandatory force. In order, therefore, to interpret the legal import of the word 'may', the court has to consider various factors, namely, the object and the scheme of the Act, the context and the background against which the words have been used, the purpose and the advantages sought to be achieved by the use of this word, and the like. It is equally well-settled that where the word 'may' involves a discretion coupled with an obligation or where it confers a positive benefit to a general class of subjects in an utility Act, or where the court advances a remedy and suppresses the mischief, or where giving the words directory significance would defeat the very object of the Act, the word 'may' should be interpreted to convey a mandatory force. As a general rule, the word 'may' is permissive and operative to confer discretion and especially so where it is used in juxtaposition to the word 'shall', which ordinarily is imperative as it imposes a duty. Cases however, are not wanting where the words 'may' 'shall', and 'must' are used interchangeably. In order to find out whether these words are being used in a directory or in a mandatory sense, the intent of the legislature should be looked into along with the pertinent circumstances. The distinction of mandatory compliance or directory effect of the language depends upon the language couched in the statute under consideration and its object, purpose and effect. The distinction reflected in the use of the word 'shall or 'may' depends on conferment of power. Depending upon the context, 'may' does not always mean 'may'. 'May' is a must for enabling compliance of provision but there are cases in which, for various reasons, as soon as a person who is within the statute is entrusted with the power, it becomes his duty to exercise that power. Where the language of statute creates a duty, the special remedy is prescribed for non-performance of the duty.

20. If it appears to be the settled intention of the legislature to convey the sense of compulsion, as where an obligation is created, the use of the word 'may' will not prevent the court from giving it the effect of compulsion or obligation. Where the statute was passed purely in public interest and that rights of private citizens have been considerably modified and curtailed in the interests of the general development of an area or in the interests or removal of slums and unsanitary areas. Though the power is conferred upon the statutory body by the used of the word 'may' that power must be construed as a statutory duty. Conversely, the use of the term 'shall' may indicate the use in optional or permissive sense. Although in general sense 'may' is enabling or discretionary and 'shall' is obligatory, the connotation is not inelastic and inviolate." Where to interpret the word 'may' as directory would render the very object of the Act as nugatory, the word 'may' must mean 'shall'.




21. The ultimate rule in construing auxiliary verbs like 'may' and 'shall' is to discover the legislative intent; and the use of words 'may' and 'shall' is not decisive of its discretion or mandates. The use of the words 'may' and 'shall' may help the courts in ascertaining the legislative intent without giving to either a controlling or a determining effect. The courts have further to consider the subject-matter, the purpose of the provisions, the object intended to be secured by the statute which is of prime importance, as also the actual words employed".

15. उपरोक्त विस्तृत विवेचना, विधि के प्रावधान व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में निष्कर्षित किया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विधायिका की मंशा को खोजने का प्रयास नहीं किया गया है। प्रकरण में विषय सामग्री पर विचार नहीं किया गया है, प्रावधान के उद्देश्य क्या है, जो अति महत्वपूर्ण है, पर कोई विचार नहीं किया गया है। प्रशमन के प्रावधानों में सामान्यतया दोनों पक्षकारों को लीटीगेशन से मुक्त करना, राजस्व को सुनिश्चित करना, के उद्देश्य होने को निर्वचित किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी का आदेश विधि से संचालित (Guided) नहीं है। अतः अपास्त होने योग्य होने के कारण अपास्त किया जाता है।

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण का वेट अधिनियम की धारा 68(2) के तहत प्रशमन किया जावे। अपीलार्थी के विरुद्ध बकाया मांग राशि रुपये 1,69,774/- की वसूली की कार्यवाही समाप्त की जावे।

17. निर्णय सुनाया गया।


20.11.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य